न्यायालय: सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :- 52/2017

अनवान

1. गोपाल पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— सायल

बनाम

1. शिशपाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भादरसिंह
3. भजनलाल
4. रोशनलाल

} पुत्रान शिशपाल जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **प्रार्थी**
वकील श्री दिवानसिंह : **अप्रार्थी** 1
वकील श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील श्री योगेश शर्मा
: **अप्रार्थी सं0** 2 ता 4

प्रकरण सं0 :- 51/2017

अनवान

2. शिशपाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा बुढेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज0

— प्रार्थी

बनाम

5. गोपाल पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
6. शारदा पुत्री जसुराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
7. विनोद पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
8. सुनिता पुत्री जसुराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
9. महेन्द्र पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
10. बिमला पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
11. बिरमा पुत्री रामकुमार जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
12. हवासिंह पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
13. देवीलाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
14. मोहनलाल पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
15. भजनलाल पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
16. बहादुर पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
17. रोशनलाल पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।

18. दुनीराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
19. श्योनाथ पुत्र शीशपाल जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
20. रतनलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
21. राजकुमार पुत्र शांति जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
22. ममता पुत्री शांति जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
23. सुमन पुत्री शांति जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
24. परसाराम पुत्र गणपत जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
25. जयलाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
26. रामेश्वरलाल पुत्र गणपत जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
27. बिदामी पत्नी जसुराम जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
28. मोमनराम वल्द मामचन्द जाति जाट निवासी श्योदानपुरा तहसील भादरा।
29. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत : अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम व
प्रार्थना पत्र बाबत : नियुक्त करने रिसिवर
अन्तर्गत धारा 212(ख) राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री दिवान सिंह : **प्रार्थी**
वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : **अप्रार्थीगण** 1, 5, 8, 10

निर्णय **दिनांक :**

चूंकि दोनों प्रार्थना पत्रों की विषयवस्तु समान है एवं कृषि भूमि का रकबा भी एक जैसा ही है। इसलिए दोनों प्रार्थना पत्रों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है दोनों प्रार्थना पत्रों के संक्षेम में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शिवदानपुरा के खाता सं0 50/53 के मु0नं0 133 की 0.253 है0 मु0नं0 134 की 0.9490 है0, मु0नं0 145 की 9.4090 है0 मु0नं0 150 की 0.4810 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 11.0920 है0 कृषि भूमि में परसाराम, जयलाल, रामेश्वरलाल का 175/877 हि0 दुनीराम, श्योनाथ, रतनलाल का 175/877 हि0, राजकुमार, ममता, सुमन 177/877 है0 हि0 गोपाल, शारदा, विनोद, सुनिता, महेन्द्र का 61–3/4 हिस्सा, देवीलाल, हवासिंह, का 70 हिस्सा, मोमनराम वल्द मामचन्द का 131–3/4 हिस्सा, मोहनलाल का 87–5/6 हिस्सा, बिमला, बिरमा 43–11/12 हिस्सा, रामकुमार, भजनलाल, बहादुर, रोशनलाल पि0 शिशपाल का 98–13/16 हिस्सा, प्रार्थी शिशपाल का 32–15/16 हिस्सा इसी प्रकार खाता सं0 51/52 के खसरा नं0 145/2 कि 8.473 है0 खसरा नं0 150 की 0.481 है0 कृषि भूमि में गोपाल, शारदा, विनोद, सुनिता, महेन्द्र का 0.649 है0 देवीलाल हवासिह का 3.477 है0 मोहनलाल का 1.698 है0 बिमला बिरमा का 0.892 है0 भजनलाल बहादुर रोशनलाल का 1.680 है0 वादी शिशपाल का 0.558 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसी प्रकार इसी खाता के खसरा सं0 323/1 की 0.253 है0 खसरा सं0 325/3 की 2.756 है0 में गोपाल शारदा विनोद सुनिता महेन्द्र की 1.243 है0 देवीलाल, हवासिंह की 1.243 है0 मोहनलाल की 0.934 है0 बिमला बिरमा की 0.307 है0 भजनलाल बहादुर रोशनलाल की 0.932 है0 प्रार्थी शीशपाल की 0.311 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है में इसी प्रकार ग्राम बुढेर के खाता सं0 10/21 के खसरा सं0 5 कि 3.1110 है0 खसरा सं0 10 की 4.6160 है0 कृषि भूमि में गोपाल, शारदा, विनोद, सुनिता, महेन्द्र का 1/4 हिस्सा, मोहनलाल का 1/6 हिस्सा, विमला बिरमा का 1/12 हिस्सा, हवासिंह

देवीलाल का 1/4 हिस्सा प्रार्थी शिशपाल का 1/4 हिस्सा, दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसी प्रकार ग्राम बुढेर के खाता सं0 11/22 के खसरा सं0 182/3 की 0.506 है0 खसरा सं0 183/2 की 0.759 है0 कृषि भूमि में दुनिराम श्योनाथ रतनलाल 0.633 है0 गोपाल, शारदा, विनोद, सुनिता, महेन्द्र का 0.158 है0 मोहनलाल का 0.158 है0 देवीलाल, हवासिंह का 0. 158 है0 भजनलाल बहादुर रोशनलाल का 0.119 है0 प्रार्थी शिशपाल की 0.039 है0 इसी प्रकार इसी खाता के खसरा नं0 182/1 की 0.752 है0 व खसरा सं0 184/4 की 2.390 है0 में गोपाल, शारदा, विनोद, सुनिता महेन्द्र का 0.405 है0 मोहनलाल का 0.661 है0 बिमला, बिरमा का 0.315 है0 देवीलाल, हवासिंह की 0.976 है0 भजनलाल बहादुर रोशनलाल की 0.588 है0 प्रार्थी शिशपाल की 0.197 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

ग्राम बुढेर के खसरा सं0 182/1 की 0.752 है0 खसरा सं0 183/4 की 2. 390 है0 बारानी कुल दोनों खसरों की 3.142 है0 बारानी कृषि भूमि व ग्राम शिवदानपुरा के खसरासं0 291/1 की 1.239 है0 बारानी, खसरा सं0 314/3 की 0.329 है0 खसरा सं0 315/2 की 0.392 है0 खसरा सं0 323/1 की 0.253 है0 खसरा सं0 325/3 की 2.756 है0 इस प्रकार कुल 4.9690 है0 बारानी कृषि भूमि व ग्राम शिवदानपुरा के खसरा सं0 145/2 की 8.473 है0 खसरा सं0 150 की 0.481 है0 बारानी कुल 8.954 है0 बारानी कृषि भूमि है।

ग्राम बुढेर के खसरा सं0 182/1 की 0.752 है0 व खसरा सं0 183/4 की कुल 2.390 है0 इस प्रकार इस खाता की कुल 3.1420 है0 भूमि जिसमें सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 ता 8 जो सायल के भाई–बहन है जो 0.405 है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार ग्राम शिवदानपुरा के खसरा नं0 291/1 की 1.239 है0 व खसरा सं0 314/3 की 0.329 है0 खसरा सं0 315/2 की 0.392 है0 खसरा सं0 323/1 की 0.253 है0 खसरा सं0 325/3 की 2.756 है0 कुल 4.9690 है0 भूमि में सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 का 1.242 है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है व इसी प्रकार खसरा सं0 145/2 की 8.473 है0 बारानी व खसरा नं0 150 की 0.481 है0 इस खाता की कुल 8.9540 है0 भूमि में सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 का 0.649 है0 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है इस प्रकार सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 उपर वर्णित तीनों खातों की कृषि भूमि अपने हिस्सा की कृषि भूमि काश्त करते है एवं सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 ने अपने तीनों खातों की कृषि भूमि में ग्वार, मूंग व बाजरे की फसल काश्त कर रखी है, जो अब पककर तैयार होने वाली है, गैरसायलान सं0 1 से 4 जो वाद भूमि के सहखातेदार है जो सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 को ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहे है, कि उनके हिस्से की उनके द्वारा काश्त शुदा फसल को वो काटने व उठाने नहीं देंगे तथा सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 के हिस्से की भूमि में उनके क़ब्जा काश्त में दखल देने पर आमादा है। यदि गैरसायलान सं0 1 से 4 ताकत व बल के आधार पर सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 के हिस्से की काश्त शुदा फसल को काटने व ले जाने में कोई बाधा व दखल पहूंचाने में कामयाब हो जाते है तो सायल व दावा के प्रतिवादी सं0 5 से 8 को नापुरा होने वाला नुकसान होगा। ऐसी सूरत में सायल–गैरसायल सं0 1 से 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवा पाने के कानूनी अधिकारी है कि वे उपर वर्णित तीनों खातों की कृषि भूमि में उनके हिस्से की कृषि भूमि में उनके कब्जा काश्त में दखल नहीं देवें व तीनों खातों की

कृषि भूमि में उनकी काश्त शुदा फसल को काटने, निकालने, ले जाने में स्वयं या अपने आदमीयों द्वारा कोई बाधा व दखल नहीं पहूंचावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212ख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी शिशपाल की एक तरफा बहस सुन कर व प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र दस्तावेजों से सन्तुष्ट होकर प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसकी जानकारी समस्त अप्रार्थीगण को हो चुकी है, चूंकि अप्रार्थीगण काफी उग्र स्वभाव के व्यक्ति है जो न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश की जानकारी होने के बाद भी मौका पर प्रार्थी द्वारा काश्त की गई मूंग, मोठ व ग्वार की फसल को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है और प्रार्थी को नुकसान पहूंचा कर अच्छी किस्म की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण बार बार प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तथा उन्हें राजनितिक संरक्षण प्राप्त है और खुलम खुला प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि यदि जरूरत पड़ी तो हत्या जैसा कदम भी उठा सकते है, न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वाद भूमि संयुक्त खाता की कृषि भूमि है तथा अप्रार्थीगण हर हाल में अच्छी किस्म की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त करना चाहते है, और इसके लिए वे खुलेआम कानून हाथ में लेकर हत्या तक की धमकी दे रहे है, चूंकि उक्त वाद भूमि पर अब गम्भीर विवाद की विषय वस्तु बन चुकी है तथा मौका पर कभी कोई भी स्थिति बन सकती है और अप्रिय घटना कारित हो सकती है इसलिए इस विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शिवदानपुरा के खाता सं0 50/53 के मु0नं0 133 की 0.253 है0 मु0नं0 134 की 0.9490 है0 मु0नं0 145 की 9.4090 है0 मु0नं0 150 की 0.4810 है0 कुल खसरा 4 कुल क्षेत्रफल 11.0920 है0 इसी प्रकार इसी चक के खाता सं0 51/52 के खसरा सं0 145/2 की 8.473 है0 खसरा सं0 150 की 0.481 है0 कृषि भूमि, इसी प्रकार इसी खाता के खसरा सं0 291/1 की 1.239 है0 खसरा नं0 314/3 की 0.329 है0 खसरा सं0 315/2 की 0.392 है0 खसरा सं0 323/1 की 0.253 है0 खसरा सं0 325/3 की 2.756 है0, इसी प्रकार ग्राम बुढेर के खाता सं0 10/21 के खसरा सं0 5 की 3.1110 है0 खसरा सं0 10 की 4.6160 है0 कृषि भूमि, इसी प्रकार ग्राम बुढेर के खाता सं0 11/22 के खसरा सं0 182/3 की 0.506 है0 खसरा सं0 183/2 की 0.759 है0 कृषि भूमि, इसी प्रकार इसी खाता के खसरा सं0 182/1 की 0.752 है0 व खसरा सं0 184/4 की 2.390 है0 कृषि भूमि की बावत रिसिवर नियुक्त किये जाने का आदेश सादिर फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की तामील हो चुकी है। प्रकरण सं0 51/2017 में अप्रार्थीगण सं0 1, 5, 8 से 10 ने जबाब पेश कर कथन किया कि पक्षकारान के मध्य जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा में दर्ज खाता सं0 51/52 का खाता विभाजन अन्य सहकाश्तकारों से दिनांक 27.02.2017 को हुआ था, जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 75 में नोट है। इसी प्रकार ग्राम बुढेर की कृषि भूमि का खाता विभाजन अन्य सह काश्तकारों से हुआ, मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड के विवरण जो भी इस मद में दर्ज किया गया है,

उससे कोई इन्कारी नहीं है।उतरदातागण ने अपने हिस्से की भूमि में ग्वार, मूंग व बाजरे की फसल काश्त कर रखी है, जो पक कर तैयार हो गई है, जिस पर सायल व उसके पुत्रों की नजर है, जो उक्त दावा व दरख्वास्त की आड़ में उतरदातागण को उनकी फसल को काटने व ले जाने से वंचित करना चाहते है यदि वास्तव में उनकी कोई फसल काश्त की हुई होती तो वे इस मद में अवश्य उसका विवरण दर्ज करते। सायल ने न्यायालय से तथ्य छुपाये है व वह न्यायालय में क्लीन हैंड नहीं आया है, उसने तथ्य छूपाकर न्यायालय से निराधार अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है एवं उसकी आड़ में वह उतरदातागण की कब्जा काश्त की भूमि एवं उसमें काश्तशुदा फसल जो पक कर तैयार है को काट कर ले जाने पर आमादा है। यदि वह ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उतरदातागण को नापूरा होने वाला नुकसान होगा वे बरबाद हो जाऐगे व उनके भूखे मरने की नोबत आ जाऐगी और उनकी मेहनत से तैयार फसल से वे वंचित हो जायेगें।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि जहां संयुक्त खाता है वहां प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहकाश्तकार का हक होता है मगर जिसने काश्त की है फसल पर उसका हक होता है। कमिश्नर न्यायालय ने नियुक्त किया है। कमिश्नर ने मौका रिपोर्ट पेश की है मैने पूरा हिस्सा काश्त नहीं किया है, शेष जमीन खाली है, उस पर प्रार्थी/अप्रार्थी काश्त करे। कमिश्नर ने काश्त सम्बन्धी रिपोर्ट की है न कि कब्जा साबित किया है। इनका दावा 53 आरटीएक्ट का है। खाता विभाजन के अधिकारी है। दावा में विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा या काश्त का उल्लेख नहीं किया। स्वयं अच्छी मदी पर दावा पेश किया है। मैंने 188 का दावा पेश किया है उसमें स्पष्ट भू–भाग पर काश्त का स्पष्ट अंकन किया है। इन्होने अपना हिस्सा काश्त नहीं किया और मेरे काश्त में दखल करना चाहता है। सहकाश्तकार को काश्त से नहीं रोका जा सकता है। सहकाश्तकार को कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं है। 212(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तब पेश होती है जब परिस्थितियां तनाव, विशिष्ट भू–भाग पर अप्रार्थी के कब्जे में बेदखली की आशंका हो। जब तक विभाजन न हो तब तक मैं विशिष्ट हिस्सा को मेरे कब्जा में होने का दावा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति काश्त नहीं करता वह दूसरे काश्तकार को काश्त से नहीं रोक सकता। मेरे पास काश्त ही आजीविका का साधन है। मेरी फसल तैयार है, मुझे फसल काटने से रोकने पर अपूरणीय क्षति होगी।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि मैने खाता विभाजन का दावा किया, इन्होने 188 का दावा किया। कोर्ट ने नायब तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर ने दोनों पक्षों में विवाद बताया है। संयुक्त खाते की जमीन, सहकाश्तकार, प्रत्येक इंच पर बराबर के हकदार है। दोनों पक्षों ने स्टे की मांग की है। अभी यह तय नहीं होना है कि फसल किसकी है यह साक्ष्य द्वारा तय होना है। दोनों पक्षों में स्टे की मांग की है अतः दोनों पक्षों को पाबन्द किया जावे। मैने 212(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। मेरा निवेदन है कि दोनों पक्षों में विवाद है इसलिए जमीन को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया जाये। मुझे कमिश्नर रिपोर्ट पर एतराज है कि वो कब्जे के संदर्भ में नहीं कह सकते। कमिश्नर बाहरी साक्ष्यों (पूछताछ) के आधार पर रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकता। प्रार्थी गोपाल ने भी किसी विशिष्ट भू–भाग दिशा आसा–पासा सहित का वाद में उल्लेख नहीं किया है वरन् अपने हिस्से में काश्त करने का उल्लेख किया है।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व रिपोर्ट नायब तहसीलदार भादरा का अवलोदन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त"Board of Revenue for rajasthan, Ajmer Rajesh singh & ors. VS Sovarah singh & ors." RRT 2003 (2) page 1216 व "न्यायिक दृष्टान्त" Board of reveve for rajasthan Ajmer, Ram kumar & Ors V/S Narayani devi & Ors. RRT2003(2) page 1101 का ससम्मान अवलोकन किया।

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सादर सम्मान करते हुए न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण में हकों की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है वरन् एक पक्षकार शिशपाल द्वारा जोत के विभाजन का दावा अन्तर्गत 53 राज.काश्तकारी अधि. प्रस्तुत किया गया है व दूसरे पक्षकार गोपाल द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा 188 राज.काश्तकारी अधि. का दावा प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों में वाद भूमि में हक–हिस्सा को लेकर कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में दोनों पक्षकारों द्वारा अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग किया जा रहा है। दोनों पक्षों में कोई तनाव या फौजदारी प्रकरण जैसे साक्ष्य पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है न ही पक्षकार शिशपाल आदि द्वारा यह साबित किया गया है कि पक्षकार गोपाल वगैरह द्वारा उनको काश्त से रोका गया या उनके कब्जा काश्त में दखल दिया है। नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया गया है पक्षकार शिशपाल वगैरह ने अपने हिस्सा को खाली छोड़ रखा है। पक्षकार शिशपाल द्वारा प्रस्तुत जोत का विभाजन के मूल वाद में किस पक्षकार को कौनसा हिस्सा मिलेगा ये मूल वाद में तय किया जाना है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्राप्त मौका रिपोर्ट से किसी को हिस्सा विशेष में काबिज घोषित नहीं किया जा रहा है। माननीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए है कि जब तक विशेष परिस्थितियां न हो तब तक एक सहकाश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। पक्षकार गोपाल द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र 212 काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपने कब्जा काश्त में दखलन्दाजी न किऐ जाने बाबत अनुतोष चाहा है। जब तक मूल वाद 53आरटीएक्ट का फैसला नहीं हो जाता, काश्तकारों को उनके कब्जा काश्त का उपयोग उपभोग करने से रोकना उचित प्रतीत नहीं होता है। दोनों ही पक्षकार प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है मगर पक्षकार शिशपाल वगैरह सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है। जबकि पक्षकार गोपाल वगैरह सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहे है। वाद भूमि में पक्षकार गोपाल वगैरह को कृषि कार्य हेतु अपने हक हिस्सा का शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग काश्त सुविधा का अधिकार है व पक्षकार गोपाल वगैरह को उनके द्वारा मेहनत से तैयार की गई फसल के उपभोग से रोकने से पक्षकार गोपाल वगैरह को अपूरणीय क्षति की पूर्ण सम्भावना है। बिना विशेष परिस्थिति के वाद भूमि को रिसीवर किया जाना उचित व न्यायसंगत नहीं है।

अत : प्रार्थना पत्र शिशपाल बनाम गोपाल अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को नासाबित होने के कारण खारिज किया जाता है व न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2017 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को अपास्त व खारिज किया जाता है। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(ख)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र गोपाल बनाम शिशपाल अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है व न्यायालय द्वारा 19.09.2017 को पारित अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा के स्थान पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वाद भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा तक उसके कब्जा काश्त में स्वयं या अपने आदमियों के मार्फत दखलन्दाजी न करें।

निर्णय आज दिनांक को 18-10-17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़